

फर्द अहकाम

बेजा

बनाम गांधी (व्य व २२२६)

नाम न्यायालय

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) जलस्थान

केस संख्या

५८/१४

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	१४/१/२३	<p>वकील जागी उपर) वकील जागी को बुला गया। वकील जागी ने दिनांक २०/१/१९ को जारी सन्तति मस्यौदा निवेद्याता के मूल वाद में विस्तरागत कन्फर्म (किसे जाके का निवेदन किया। इसके वकील जागी की लक्ष पर कर्क (किसे) मूल वाद पर (थाय) निवेद्याता का है हमा धराण के जारी सन्तति मस्यौदा निवेद्याता के मूल वाद के विस्तरागत कन्फर्म किया जाऊ उचित सिद्ध है।</p> <p>नदः दिनांक २०/१/२०१९ को जारी सन्तति मस्यौदा निवेद्याता के मूल वाद के विस्तरागत कन्फर्म किया जाता है।</p> <p>जबावकी केसक कुमप होकर मूल वाद के एकजित रहे।</p>	

उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) जलस्थान